आडियो-विजुअल कामगार भी नए लेबर कोड का हिस्सा

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया बोले- विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे नए लेबर कोड

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : श्रम सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है। बागान मजदूरों, आडियो-विजुअल व डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और आडियो-विजुअल कामगारों को भी नए लेबर कोड का हिस्सा बनाया गया है ताकि उन्हें इसका फायदा मिले। खदान मजदूरों समेत खतरनाक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी आन-साइट सेफ्टी मानिटरिंग के मानक तय किए गए हैं। वस्त्र उद्योग, आइटी और आइटीईएस कर्मचारी, बंदरगाहों और निर्यात क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भी इसके दायरे में लाए गए हैं। इन्हें हर महीने की सात तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। अब साल में 180 दिन काम करने के बाद ही कर्मचारी सालाना छुट्टी लेने का हकदार होगा।

लेबर कोड में विवाद के शीघ्र समाधान पर जोर है। इसमें दो सदस्यों वाले औद्योगिक न्यायाधिकरण होंगे और सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरण में जाने का विकल्प होगा। कंपनियों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न, कई ओवरलैपिंग फाइलिंग की जगह लेगा। नेशनल ओएसएच बोर्ड सभी सेक्टर में एक जैसे सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मानदंड तय करेगा। 500 से अधिक कामगारों वाली जगहों पर जरूरी सुरक्षा समितियां होंगी, जिससे जवाबदेही बेहतर होगी। छोटी यूनिट के लिए रेगुलेटरी बोझ कम होगा।

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि शुक्रवार से देश में लागू नए लेबर कोड सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। ये सुधार आत्मनिर्भर और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। मांडविया ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नए लेबर कोड लागू होने से कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय के साथ मोदी सरकार की हर श्रमिक के सम्मान की गारंटी मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि मजबूत कार्यबल बनाना इन लेबर कोड का लक्ष्य है।

पांच वर्ष तक लेबर कोड लागू नहीं होने की प्रमुख वजह

- छह वामपंथी ट्रेड यूनियन, कांग्रेस की इंटक समेत सभी श्रम संगठन इन्हें कर्मचारी हितों के विरुद्ध बताकर विरोध करते रहे हैं। आरएसएस की श्रम इकाई भारतीय मजदूर संघ की भी कुछ आपत्तियां रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि वह वर्षों तक लचीला रुख अपना रही।
- कई राज्य इनका विरोध करते रहे हैं जिनमें से अधिकांश विपक्षी आइएनडीआइए शासित हैं। जबकि श्रम मंत्रालय का कहना है कि इनमें से अधिकांश राज्यों ने अपने यहां लेबर कोड के अनुरूप श्रम सुधार लागू कर लिए हैं पर वे केंद्रीय श्रम सुधारों में अड़चन लगा रहे हैं। इसकी वजह से राज्यों में स्थापित केंद्र सरकार की उत्पादन इकाइयों पर केंद्रीय लेबर कोड लागू नहीं हो पा रहा था क्योंकि संविधान के तहत श्रम मामले राज्य और केंद्र दोनों, समवर्ती सूची के अधीन आते हैं।
- इसके मद्देनजर ही लेबर कोड बनाने में जनता और हितधारकों को शामिल कर श्रम मंत्रालय ने वर्षों तक गहराई से विचार-विमर्श किया। इसके बाद अब इसे लागू करने का कदम उठाया गया है।

श्रमिक संगठनों ने श्रम सुधारों को बताया मजदूर विरोधी

नई दिल्ली, प्रेट : दस श्रमिक संगठनों (लेबर यूनियनों) के एक संयुक्त मंच ने शुक्रवार को श्रम सुधारों की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह कदम मजदूर-विरोधी है और मालिकों का समर्थन करता है। हालांकि, भारतीय मजदूर संघ (बीएसएस) ने सुधारों का स्वागत किया और इसे बहुप्रतीक्षित कदम बताया। एक बयान में श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने कहा कि वे मजदूर-विरोधी, मालिक-समर्थक श्रम संहिताओं को एकतरफा लागू करने की कड़ी निंदा करते हैं। मंच ने कहा, "चार श्रम संहिताओं की यह मनमानी और अलोकतांत्रिक अधिसूचना सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देती है और इसने भारत के कल्याणकारी राज्य के चरित्र को बर्बाद कर दिया है।" एक अलग बयान में बीएसएस ने कहा कि चार श्रम संहिताएं श्रम बाजार की चिंताओं को दूर करती हैं। साथ ही कहा, "शेड्यूल एंप्लायमेंट से परे वेतन कवरेज को बढ़ाना और नए व असंगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा का विस्तार करना आधुनिक कार्यबल की आकांक्षाओं के साथ जुड़े आगे के सुधारों को दर्शाता है।"

लेबर कोड से ऐसे बदल गई कामगारों की दुनिया

	श्रम सुधारों से पहले	श्रम सुधारों के बाद
सभी कामगारों का रिकार्ड	नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य नहीं था	सभी कामगारों को देना होगा नियुक्ति पत्र लिखित साक्ष्य पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
सामाजिक सुरक्षा	सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफार्म वर्कर सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआइसी, बीमा और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।
न्यूनतम वेतन	न्यूनतम वेतन का नियम सिर्फ संगठित क्षेत्र में लागू है कामगारों का बड़ा हिस्सा इससे बाहर है	सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार मिलेगा न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
स्वास्थ्य देखभाल सुविधा	नियोक्ता के लिए कामगारों को मुफ्त सालाना हेल्थ चेक-अप कराना जरूरी नहीं	नियोक्ता को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कामगारों का सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप कराना होगा इससे बीमारियों की रोकथाम और समय पर पहचान करने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा
समय पर वेतन	कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की कानूनी बाध्यता नहीं है	नियोक्ताओं के लिए कामगारों को समय पर वेतन देना अनिवार्य है वित्तीय स्थिरता के साथ कामगारों का जीवन आसान होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा
महिला श्रम बल भागीदारी	नाइट शिफ्ट और कुछ खास कामों में महिलाओं के काम पर रोक है	महिलाओं को रात में और सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, उनकी सहमति जरूरी
अनुपालन का बोझ	विभिन्न श्रम कानूनों में कई रजिस्ट्रेशन, रिटर्न	सिंगल रजिस्ट्रेशन, पूरे भारत के लिए सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न

जागरण रिसर्च